"अतिआवश्यक"

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं

एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ18(19)/एनआरएचएम/एमएमयू/डिविजनल कमेटी/2014–15/4068 दिनांक :-10-9-14

समस्त, जिला कलक्टर एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषयः– एमएमयू तथा एमएमवी के संचालक के चयन हेतु राज्य स्तर द्वारा दिनांक 09.09.2014 को जारी किये गये आर.एफ.पी. के कम में।

सन्दर्भः– विभागीय पत्रांक 935 दिनांक 13.05.2014

जैसा कि आपको विदित है राज्य में सचिालित एमएमयू तथा एमएमवी के संचालक के चयन के लिये संभागीय स्तर पर आर.एफ.पी. जारी किये गये थे। यह आर.एफ.पी. सन्दर्भित पत्र के माध्यम से राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसरण मे निरस्त कर दिये गये। इस संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तर पर जिलेवार नवीन सेवा प्रदाता के चयन हेतु दिनांक 09.09.2014 को e-proc साईट पर जारी किया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी हैः-

1. आर.एफ.पी. के तकनिकी प्रस्ताव दिनांक 10.10.2014 को सांय 3 बजे राज्य स्तर पर खोले जायेंगे जिसके पश्चात् संबंधित जिले के तकनिकी प्रस्तावों को मुल्यांकन हेतु जिले पर भेज दिया जायेगा।
2. इन तकनिकी प्रस्तावों का मुल्यांकन आ.एफ.पी. के अनुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगाः–
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सदस्य सचिव।
   - जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, सदस्य।
   - लेखा अधिकारी/जिला लेखा प्रबन्धक, सदस्य।
   - ट्रेजरी अधिकारी, सदस्य।
3. आर.एफ.पी. के प्रावधानो के अनुसार तकनिकी रूप से सक्षम निविदा दाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु इन सक्षम निविदा दाताओ की सूची राज्य स्तर पर दिनांक 27.10.2014 तक प्रेषित की जायेगी।
4. तकनिकी रूप से सक्षम निविदा दाताओ के वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 30.10.2014 को राज्य स्तर पर खोले जायेगे।
5. सफल निविदा दाताओ के संबंध में जिलो को अनुबन्ध करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त जिले के एमएमयू तथा एमएमवी वाहन संचालक को हैण्ड ओवर किये जायेगे।

इस संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। तथा आपके जिले में उपलब्ध समस्त एमएमयू तथा एमएमवी वाहनो को नवीन सेवा प्रदाता को संचालन हेतु देने के मद्देनजर आवश्यक रिपेयर आदि कार्य पूर्व से ही कराना सुनिश्चित करे ताकि हैण्ड ओवर के समय अनावश्यक देरी नही हो।

नवीन जैन
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक एनएचएम

Mail ID- : co_mmu.nrhm@yahoo.com, Contact No. 0141-2220289

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त संभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सचिव, निदेशक आरसीएच, मुख्यालय।
6. निदेशक वित्त, एनएचएम।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक/ट्रेजरी ऑफिसर।
9. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई–मेल करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

10/9/14

परियोजना निदेशक
एनएचएम